न्यायालय असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रतापगढ जिला प्रतापगढ (राज0)

प्रकरण संख्या 138/2010 तारीख निर्णय

1 श्री सालगराम पिता रामलालजी चमार आयु 47 वर्ष

2 श्री उदेराम पिता श्री रामलालजी चमार आयु 55 वर्ष

निवासी असावता तहसील व जिला प्रतापगढ राज0 ———वादीगण

—बनाम—

श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार प्रतापगढ राज0 ——प्रतिवादी

वाद

तहत धारा 88–89 रा0टी0एक्ट

निर्णय

वादीगण ने वाद अर्न्तगत धारा 88–89रा0टी0एक्ट घोषणा का प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा असावता तहसील प्रतापगढ में मु0 देउ बाई बेवा श्री घासीजी चमार के खाते की निम्नलिखित स्थित है–

आराजी नम्बर	क्षैत्रफल (हैक्टर में)
485	0.03
900	0.61
1161	0.64

कुल किता 3 कुल क्षैत्रफल 1.28 हैक्टर भूमि

मुस्मात देउबाई ने दिनॉक 29.10.2002 को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत पत्र उक्त आराजीयात बाबत वादीगण के पक्ष मे निष्पादित किया है । मु0 देउबाई के सगे देवर रामलाल के पुत्र वादीगण है । वादीगण जो की मु0 देउबाई के सगे देवर के पुत्र है । मुस्मात देउबाई का स्वर्गवास वाद पेश करने से करीब 7 वर्ष पुर्व हो गया है । उक्त वसीयतनामा के अनुसार वादीगण उक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है । वादीगण उक्त आराजीयात काबिज होकर काश्त करते चलें आ रहे है । वाद पत्र के साथ वादीगण ने नकल जमाबन्दी सम्वत2064–67 व फोंटो प्रति वसीयतनामा की पेश की हैं व निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजीयात का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे घोषणात्मक ड्रिकी प्रदान की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया । प्रतिवादी ने दिनॉक 28.7.2011 को जबाब पेश किया गया । प्रतिवादी ने रजिस्टर्ड वसीयत नामा होना स्वीकार किया हे व वाद की चरण सख्या 2 मे लिखे अनुसार मु0 देउबाई का स्वर्गवास होना स्वीकार किया है । उक्त वसीयत नामा के आधार पर खातेदार काश्तकार

वादी के वाद पत्र व प्रतिवादी के जाबाब का अवलोकन कर निम्न लिखित तनकी बनाई गई –

1 आया वादी चरण सख्या 1 मे वर्णित आराजीयात वादीगण को मु0 देउबाई बेवा घासीजी चमार के द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत की गई है । इस कारण वादीगण उकत आराजीयात के स्वय को खातेदार काश्तकार घोषित कराने के हकदार है ।.....वादीगण

वादीगण व प्रतिवादीगण ने मोखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। वादीगण व प्रतिवादी के विघान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

प्रत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी समवत 2064–67 व फोटो प्रति वसीयत नामा का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया । प्रस्तुत जमाबन्दी मे वर्णित आराजीयात वादग्रस्त आराजीयात एक समान है व खातेदार देउबाई बेवा घासीजी चमार के नाम दर्ज रिर्कार्ड है । फोंटो प्रति वसीयत नामा दिनोंक 22.10.2002 को मु0 देउबाई बेवा घासीजी चमार द्वारा वादीगण के पक्ष में निष्पादित किया हुवा है जिस पर मु0 देंउबाई की अगुठा निशानी है व वसीयत कर्ता की पहचान श्री सुन्दरलाल पिता शाभारामजी पाटीदार निवासी असावता व बाबुलाल पिता रामलालजी पाटीदार निवासी असावता ने की है साक्ष्य के रूप मे अपने हस्ताक्षर वसीयत पत्र पर किये है व वसीयत नामा उप पजीयक प्रतापगढ द्वारा प्रमाणित किया गया है। प्रतिवादी द्वारा भी रजिस्टर्ड वसीयत नामा के सम्बध मे कोई आप्पति नही की गई है। अतः तनकी सख्या एक वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य से अपने पक्ष मे साबित की है जिससे तनकी सख्या एक वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है ।

अनुतोष :–

तनकी सख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णित किये जाने से वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाता है । वाद की चरण सख्या एक मे वर्णित मौजा असावता की आराजी नम्बर 485 क्षैत्रफल 0.03 हेक्टर , आराजी नम्बर 900 क्षैत्रफल 0.61 हेक्टर आराजी नम्बगर 1161 क्षैत्रफल 0.64 हैक्टर कुल किता 3 कुल क्षैत्रफल 1.28 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । तदनुसार डिक्री पर्चा बनायी जावे । पत्रावली फैसल हाकर नम्बर से कम हो ।

16.06.15

असिस्टेन्ट कलेक्टर
प्रतापगढ (राज0)